न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 126/2012

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी :-

1. शियाराम पुत्र प्रताप
2. चुतराराम पुत्र पूसाराम
3. हनुमानराम पुत्र सांवरराम

जातियान-रेगर, निवासी-जसनगर
तह0-मेड़तासिटी (जिला-नागौर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.17.07.2012

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. नायब तहसीलदार, जैतारण, सरकारी पैरोकार उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण के दादा मंगलाराम पुत्र पुरखाराम व अन्य हिस्सेदारों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 34 रकबा 22-02 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 49-17 बीघा एवं खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-3 कुल रकबा 72-00 बीघा किस्म बा0अ0, बा0दो0, गै0मु0बेरा की आई हुई हैं। जिसमें मंगलाराम का 1/3वां हिस्सा था, दिगर जमीन अन्य हिस्सेदारों की हैं। जिसके बाबत् कोई विवाद नहीं हैं। वादीगण की वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष मंगलाराम पुत्र पुरखाराम के पुत्रान प्रताप, चूनाराम, पूसाराम एवं सांवलराम हुए तथा प्रताप का पुत्र शियाराम हुआ। पूसाराम के पुत्र चुतराराम तथा सांवलराम के पुत्र हनुमानराम हुए। उक्त वर्णित वंशावली के माफिक मंगलाराम के चार पुत्र थे। जिनमें चुनाराम निसंतान फौत हो गये हैं। चुनाराम की सेवा चाकरी व स्वर्गवास उपरान्त हरिद्धार में अस्थियों का विसर्जन, पिण्डदान, गंगाप्रसादी, बांरवा आदि वादी चुतराराम व हनुमानराम वगैरह ने ही किये थे। इस प्रकार से चूनाराम की चल व अचल जायदाद के वादीगण चुतराराम व हनुमानराम विधिक उत्तराधिकारी हैं। उक्त विवादित आराजी की भूमि राजस्व रेकर्ड में मंगलाराम पुत्र पुरखाराम के नाम से दर्ज थी तथा मंगलाराम के दो भाई धूलाराम व छोगाराम थे, जिसकी प्रविष्टि जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में की हुई हैं। इसी अनुरूप जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में भी उक्त सही प्रविष्टि दर्ज हैं। तत्पश्चात् चौशाला जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 बनाते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीगण के दादा का नाम मंगला पुत्र पुरखाराम की बजाय छोगाराम पुत्र मंगलाराम के नाम की गलत प्रविष्टि कर दी। तत्पश्चात् इसी अनुरूप जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 व 2029 से 2032 में भी इसी अनुरूप प्रविष्टि हुई थी। उक्त प्रविष्टि लिपिकीय त्रुटि वश गलत हुई हैं। वादीगण के दादा का नाम मंगलाराम था। कालान्तर में छोगाराम के नाम का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में धूला, छोका, मंगला पिताराम् पुरखाराम था।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तत्पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 बनाते समय पेमाराम पुत्र धूला, छोगा पुत्र पुरखा व इसके साथ गलत प्रविष्टि छोका पुत्र मंगला हो गई थी। जबकि वादीगण के दादा मंगलाराम पुत्र पुरखा थे तथा वादीगण के पिता प्रताप, धूला, पूरा, सांवल की वल्दियत मंगला की बजाय छोगा की गलत प्रविष्टि हो गई थी, जो काबिल दुरूस्ती के हैं। तत्पश्चात् चूनाराम, पूसाराम व सांवलराम का स्वर्गवास हो चुका हैं। इनकी गलत वल्दियत राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने की वजह से वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो पा रहा हैं। उक्त गलत प्रविष्टि काबिल दुरूस्ती के हैं। इस बाबत् वादीगण ने हल्का पटवारी व तहसीलदार से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मामला पुराना होने से आप न्यायालय में कार्यवाही करें तथा दिनांक 02/07/2012 को इस बाबत् दुरूस्ती कर देने से ईन्कार कर दिया। जिस पर यह वाद पत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 02/07/2012 को हल्का पटवारी द्वारा इस बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने का कहने पर मना करने से बमुकाम-गांगलिया (लाम्बिया) व जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मनरा वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित। सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण को दिनांक 10/09/2012 को लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से जबाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता हैं तथा जबाबदावा दिनांक 15/12/2014 को बन्द किया गया। वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, आयकर विभाग द्वारा जारी कार्ड संख्या BACPB7376R, राशन कार्ड संख्या 6438 दिनांक 28/01/2002, चुनाव फोटो पहिचान पत्र संख्या JCJ/2723484 दिनांक 30/06/2008 की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत किए हैं। सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 73 व 73/1 कुल किता-3 कुल रकबा 72-00 बीघा के 1/3 हिस्से में वादीगण के पिता व पूर्वज चूनाराम, पूसाराम, सांवलराम की वल्दियत छोगाराम की बजाय मंगलाराम दर्ज किये जाने तथा चूनाराम पूसाराम व सांवलराम फौत हो जाने से उनके स्थान पर वादीगण चुतराराम व हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न क्रमशः छायाप्रति पूसाराम, सांवलराम तथा चूनाराम के संलग्न पत्रावली हैं।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली आज राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत आयोजित शिविर न्यायालय हाजा में पेश हुई। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण पक्षकार तथा सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण को सुना गया। वस्तुतः उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2021-24 बनाते समय वादीगण के दादा का नाम मंगला पुत्र पुरखाराम के बजाय छोगाराम पुत्र मंगलाराम एवं छोका पुत्र पुरखाराम की गलत प्रविष्टि कर दी, जो आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 व 2029 से 2032 में भी यथावत लिपिकीय त्रुटिवश गलत हुई हैं। जबकि वादीगण के दादा का नाम मंगलाराम ही था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में धूला, छोका, मंगला पि0 पुरखाराम, तत्पश्चात् 2021-2024 में पेमाराम पुत्र धूला, छोगा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पुत्र पुरखा व इसी के साथ छोका पुत्र मंगला दर्ज हो गई। इस प्रकार प्रताप, चूना, सांवल की वल्दियत मंगला के बजाय छोगा गलत दर्ज हो गई। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना तथा वादीगण शिवाराम पुत्र प्रताप, चूनाराम पूसाराम व सांवलराम के पिता का गलत दर्ज नाम छोगा एवं छोका के स्थान पर वास्तविक सही नाम मंगलाराम दर्ज किया जाना शिवाराम पुत्र प्रताप के स्थान पर शियाराम पुत्र प्रताप दुरूस्त किया जाना तथा चूनाराम निसन्तान फौत हो जाने तथा पूसाराम सांवलराम मृत्यु के प्रमाण-पत्रानुसार फौत हो जाने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 34 रकबा 22-02 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 49-17 बीघा एवं खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-3 कुल रकबा 72-00 बीघा किस्म बा0अ0, बा0दो0, गै0मु0बेरा के 1/3 हिस्से में वादीगण का गलत दर्ज शिवाराम पुत्र प्रताप के स्थान पर शियाराम पुत्र प्रताप तथा चूनाराम पूसाराम व सांवलराम के पिता का गलत दर्ज नाम छोगा एवं छोका के स्थान पर वास्तविक सही नाम मंगलाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा चूनाराम निसन्तान फौत हो जाने तथा पूसाराम सांवलराम के मृत्यु प्रमाण-पत्रानुसार फौत हो जाने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को न्यायालय हाजा में आयोजित मेगा लोक अदालत में सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी :-

1. शियाराम पुत्र प्रताप
2. चुतराराम पुत्र पूसाराम
3. हनुमानराम पुत्र सांवरराम

जातियान-रेगर, निवासी-जसनगर
तह0-मेड़तासिटी (जिला-नागौर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:126/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-...... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व नायब तहसीलदार, जैतारण, सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 34 रकबा 22-02 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 49-17 बीघा एवं खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-3 कुल रकबा 72-00 बीघा किस्म बा0अ0, बा0दो0, गै0मु0बेरा के 1/3 हिस्से में वादीगण का गलत दर्ज शिवाराम पुत्र प्रताप के स्थान पर शियाराम पुत्र प्रताप तथा चूनाराम पूसाराम व सांवलराम के पिता का गलत दर्ज नाम छोगा एवं छोका के स्थान पर वास्तविक सही नाम मंगलाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा चूनाराम निसन्तान फौत हो जाने तथा पूसाराम सांवलराम के मृत्यु प्रमाण-पत्रानुसार फौत हो जाने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	12-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः-	17=00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner